



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर



प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 27.03.2026

थाना जहानाबाद पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले अंतर्जनपदीय 03 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से मोटर साइकिल के कटे हुये पार्ट बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 26.03.2026 को वादी प्रदीप कुमार उर्फ कप्तान सिंह पुत्र सूरजभान निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर द्वारा दी गई तहरीरी सूचना दिनांक 23/24.03.2026 की मध्य रात्रि को अमौली रोड चौराहा स्थित देशी ठेका शराब की दुकान के सामने से मो0सा0 पैशन प्रो रंग काला यू0पी0 UP71V6236 को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना जहानाबाद पर मु0अ0सं0 38/26 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण- श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक बिन्दकी के कुशल नेतृत्व में पंजीकृत उपरोक्त अभियोग मु0अ0सं0 38/26 धारा 303(2) बीएनएस की विवेचनात्मक कार्यवाही एवं प्रभावी पतारसी सुरागरसी के परिणाम स्वरुप मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक- 27.03.2026 को थाना जहानाबाद पुलिस द्वारा नहर कोठी खण्डहर वहद ग्राम गोकुलपुर में 03 व्यक्ति बोरियो में मोटर साइकिल के कटे पार्ट लिये खडे थे, जिनसे नाम पता पूछने पर अपना 1. अनुज उर्फ अन्नू विश्वकर्मा पुत्र स्व0 रमेशचन्द्र विश्वकर्मा निवासी काजीटोला कस्बा व थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर उम्र करीब 21 वर्ष 2. अरुण रस्तोगी पुत्र श्यामधर निवासी मेला मैदान थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर, हाल पता मोहल्ला कछेवरा कस्बा व थाना जहानाबाद फतेहपुर उम्र करीब 22 वर्ष 3. मोहम्मद हासिम पुत्र मोहम्मद नईम निवासी मोहल्ला काजीटोला कस्बा व थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर उम्र करीब 38 वर्ष बताया । जिसके कब्जे से थाना जहानाबाद पर दिनांक 26.03.2026 को पंजीकृत मु0अ0सं0- 38/26 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित माल एक अदद मोटर साइकिल के कटे हुये पार्ट बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना पर पंजीकृत उपरोक्त मुकदमा में धारा 317(2)/317(4)/317(5)/238 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया अनुज उर्फ अन्नू व अरुण रस्तोगी उपरोक्त नें बताया कि सामने जो मोटर साइकिल का पार्ट बोरियो में पड़ा है। वह हम दोनो लोगो नें मिलकर दिनांक 23/24.03.2026 की रात्रि में अमौली रोड तिराहा स्थित देशी शराब की दूकान के सामने से मोटर साइकिल पैशन प्रो चोरी किये थे। उसी मोटर साइकिल के पार्ट है। जिसे हम दोनो लोगो नें मिल कर काट कर, मोटर साइकिल का चेचिस नं0 घिस दिये थे और नम्बर प्लेट को तोड़ फोड़ कर फेक दिये थे। उसी मोटर साइकिल के कटे हुये ये पार्ट है। जिनकी विक्री हेतु आज हम लोगो नें हासिम को यहाँ पर बुला कर सौदा किये थे। हम दोनो मोटर साइकिल के पार्ट के सामान हासिम को देने के लिये यहाँ पर आये हुये थे कि आप लोग आ गये, आप लोगो को देखकर डर के कारण हम लोग भागना चाह रहे थे कि आप लोगो नें पकड़ लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. अनुज उर्फ अन्नू विश्वकर्मा पुत्र स्व० रमेशचन्द्र विश्वकर्मा निवासी काजीटोला कस्बा व थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर उम्र करीब 21 वर्ष।
2. अरुण रस्तोगी पुत्र श्यामधर निवासी मेला मैदान थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर, हाल पता मोहल्ला कछेवरा कस्बा व थाना जहानाबाद फतेहपुर उम्र करीब 22 वर्ष।
3. मोहम्मद हासिम पुत्र मोहम्मद नईम निवासी मोहल्ला काजीटोला कस्बा व थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. मोटर साइकिल पेशन प्रो वाहन सं० UP71V6236 के कटे हुये पार्ट 03 अदद बोरियो में

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. अनुज उर्फ अन्नू विश्वकर्मा पुत्र स्व० रमेशचन्द्र विश्वकर्मा निवासी काजीटोला कस्बा व थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर उम्र करीब 21 वर्ष

1. मु०अ०सं० 55/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर

2. मु०अ०सं० 22/2022 धारा 392/411 भादवि थाना साढ जनपद कानपुर नगर

3. मु०अ०सं० 166/22 धारा 3(1) उ०प्र० गैगेस्टर एक्ट थाना साढ जनपद कानपुर नगर

4. मु०अ०सं० 04/22 धारा 379/411 भादवि थाना साढ जनपद कानपुर नगर

5. मु०अ०सं० 38/26 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/238 बीएनएस थाना जहानाबाद

2. मोहम्मद हासिम पुत्र मोहम्मद नईम निवासी मोहल्ला काजीटोला कस्बा व थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर उम्र करीब 38 वर्ष

1. मु०अ०सं० 85/24 धारा 305/317(2)/317(5) बीएनएस थाना जहानाबाद, फतेहपुर

2. मु०अ०सं० 38/26 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/238 बीएनएस थाना जहानाबाद, फतेहपुर

3. अरुण रस्तोगी पुत्र श्यामधर निवासी मेला मैदान थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर, हाल पता मोहल्ला कछेवरा कस्बा व थाना जहानाबाद फतेहपुर उम्र करीब 22 वर्ष

1. मु०अ०सं० 38/26 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/238 बीएनएस थाना जहानाबाद, फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० नीरज कुमार
2. उ०नि० विकास कन्नौजिया
3. उ०नि० प्रवीण कुमार
4. का० वीरू सिंह
5. का० अजय कुमार
6. का० सूर्यभान सिंह